कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवसंबा / 2019–20 / 10067 दिनांक : 27/9/19

निमित्त:–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

कोटा।

विषय: "Diversion of 4.91 ha. of forest of Executive Engineer Rajasthan Rajya, Vidut Utapdan Nigam Limited Chabara, Baran for Construction of Raw Water Pipeline form Parvan Dam to CSCTPP Motipura Super Critical Thermal Power Plant" in District - Baran, Rajasthan".

प्रस्ताव संख्या :– FP/RJ/OTHERS/34660/2018

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक F14 (Thermal) 2016/FCA/PCCF/RO EDS-I Jaipur दिनांक 26.09.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में संदर्भित पत्र से निम्न बिन्दुओ पर लगाये गये आक्षेपो की इस कार्यालय द्वारा पूर्ति कर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है।

Point No.	EDS Raised on Dated 26.09.2019	EDS Reply
1	बिन्दु संख्या 1ए की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक बांरा द्वारा अंकित किया गया है कि प्रस्तावित पाइप लाइन के संरेखण को विचलित कर अभयारण्य सीमा से बाहर कर दिया गया है किन्तु उप वन संरक्षक बांरा द्वारा ऑनलाईन पार्ट II के बिन्दु 8 (III) में प्रस्तावित संरेखण शेरगढ अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन से जाने के संबंध में आवयश्क टिप्पणी नही की गई है। इसके अतिरिक्त वन्यजीव संबंधी छूट का परिपत्र भी संलग्न नहीं किया गया है।	पार्ट II के बिन्दु संख्या 8 (III) में विवरण संलग्न कर दिया गया है। एवं शेरगढ अभयारण्य क्षेत्र के ईको सेन्सेटिव जोन में वन्यजीव स्वीकृति की छूट का परिपत्र हार्ड प्रतिलिपी में संलग्न है।
2	बिन्दु संख्या 3 की पालना के क्रम में प्रस्ताव में क्षैत्रीय कार्यालय लखनउ द्वारा मलबा निस्तारण योजना संलग्न किया जाना अंकित किया गया है किन्तु हार्ड प्रति में मलबा निस्तारण योजना संलग्न नही है।	मलबा निस्तारण योजना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पुर्व में ही पार्ट I में अपलोड कर दी गई है। हार्ड प्रतिलिपी पुनः संलग्न है।
3	बिन्दु संख्या 5 की पालना के क्रम में प्रस्ताव में चाही गई सूचना के क्रम में उप वन संरक्षक बांरा द्वारा प्रस्तावित एलायमेंट ईको सेंसिटिव जोन से होकर जाना अंकित किया गया है। इस हेतु ऑनलाईन पार्ट II के बिन्दु 8 में (III) प्रस्तावित संरेखण शेरगढ अभयारण्य के ईको सेंसिटिव जोन से जाने के संबंध आवयश्क टिप्पणी नहीं की गई	उक्त बिन्दु की पालना में पार्ट II के बिन्दु 8 (III) में आवश्यक विवरण संलग्न कर दिया गया है एवं संशोधित पार्ट II की प्रतिलिपी संलग्न है।

Scanned by CamScanner

	है।	
4.	बिन्दु संख्या 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षण बारां द्वारा 1.0365 है0 वन भूमि में बिना स्वीकृति गैर वानिकी कार्य करना अंकित किया गया है इस हेतु उप वन संरक्षक बारां द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न की गई है किन्तु अधिरोपित की गई शास्ती का विवरण सही नहीं है। इसके अतिरिक्त विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही विवरण संलग्न किया जाना प्रस्तावित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन के संदर्भ में उप वन संरक्षक से उच्च अधिकारी से स्पष्टीकरण चाहा गया था। जो अपेक्षित है।	बिन्दु संख्या 6 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1.0365 है0 वन भूमि में बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ करने पर उल्लघंन स्वरूप अधिरोपित की जाने वाली शास्ती का विवरण संशोधित कर दिया गया है। **प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उंल्लघन किया गया है इस सन्दर्भ में उच्च अधिकारी की टिप्पणी वांछित है जो आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।**

अतः उक्तानुसार पालना रिपोर्ट मय दस्तावेज 4 प्रतियों में अग्रीम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

सलंग्न :– उक्तानुसार।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक एफ ( ) एफ.सी.ए. / उवस / 19–20 / **दिनांक**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), थर्मल पावर प्रोजेक्ट (ओ एण्ड एम), छबडा।

(महेश चन्द गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned by CamScanner